संख्या-53/2015/वे0आ0-2-903/दस-62(एम)/2008

प्रेषक,

राहुल भटनागर,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

(1) समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
(2) समस्त विभागाध्यक्ष एवं प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।

वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग-2 **लखनऊ: दिनांक: 10 सितम्बर, 2015**

विषय:- वेतन समिति (2008) की संस्तुतियों पर लिये गये निर्णयानुसार सहायता प्राप्त शिक्षण एवं प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं के शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के लिए सुनिश्चित कैरियर प्रोन्नयन (ए0सी0पी0) की व्यवस्था।

महोदय,

उपर्युक्त विषय की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुये मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि सहायता प्राप्त शिक्षण एवं प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं के शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के लिए लागू सुनिश्चित कैरियर प्रोन्नयन (ए0सी0पी0) की व्यवस्था विषयक शासनादेश संख्या-12/2015/वे0आ0-2-183/दस-62(एम) 2008, दिनांक 24 मार्च, 2015 में की गयी व्यवस्थानुसार ऐसे कर्मचारी जिन्हें सीधी भर्ती के पद पर प्रथम नियुक्ति की तिथि से 16 वर्ष की सेवा पूर्ण करने के बावजूद दूसरे वित्तीय स्तरोन्नयन के समतुल्य ग्रेड वेतन अनुमन्य नहीं हुआ है, उन्हें द्वितीय वित्तीय स्तरोन्नयन अनुमन्य किये जाने हेतु निम्नलिखित व्यवस्था किये जाने की राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है:--

'' ऐसे पदधारक जिन्हें ए0सी0पी0 की व्यवस्था विषयक शासनादेश संख्या-12/2015/वे0आ0-2-183/दस-62(एम) 2008, दिनांक 24 मार्च, 2015 में निहित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के कारण सीधी

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

भर्ती के पद पर प्रथम नियुक्ति की तिथि से 16 वर्ष की नियमित सेवा पूर्ण होने के बावजूद सीधी भर्ती के पद पर अनुमन्य ग्रेड वेतन से दूसरे वित्तीय स्तरोन्नयन के समतुल्य ग्रेड वेतन वास्तविक पदोन्नति/समयमान वेतनमान/ए0सी0पी0 अनुमन्य होने के बावजूद नहीं मिल पाया है उन्हें शासनादेश संख्या-वे0आ0-2-1318/दस-59(एम)/2008, दिनांक 08 दिसम्बर, 2008 के संलग्नक-2अ पर उपलब्ध तालिका के स्तम्भ-6 में उपलब्ध सीधी भर्ती के पद के ग्रेड वेतन से दूसरा उच्च ग्रेड वेतन सीधी भर्ती के पद पर नियमित नियुक्ति की तिथि से 16 वर्ष की संतोषजनक सेवा पूर्ण करने की तिथि अथवा दिनांक 01 दिसम्बर, 2008 जो भी बाद में हो, से द्वितीय वित्तीय स्तरोन्नयन के रुप में स्वीकृत किया जायेगा। सीधी भर्ती के पद का आशय उस पद से है जिस पर सम्बन्धित कार्मिक सीधी भर्ती के द्वारा नियुक्ति हुआ हो।"

2- शासनादेश संख्या-12/2015/वे0आ0-2-183/दस-62(एम)2008, दिनांक 24 मार्च, 2015 उक्त सीमा तक संशोधित समझा जाय।

भवदीय,

राहुल भटनागर

प्रमुख सचिव।

संख्या-53/2015/वे0आ0-2-903(1)/दस-62(एम)/2008, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:--

(1) महालेखाकार लेखा एवं हकदारी-। एव ।। तथा आडिट । एवं ।।, उत्तर प्रदेश,इलाहाबाद।
(2) प्रमुख सचिव/सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तर प्रदेश।
(3) निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश,इलाहाबाद।
(4) निदेशक सूचना एवं जनसम्पर्क, उत्तर प्रदेश लखनऊ।
(5) समस्त मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी,उत्तर प्रदेश।
(6) उत्तर प्रदेश सचिवालय के अन्तर्गत चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-1

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

(7) उत्तर प्रदेश सचिवालय के अन्तर्गत शिक्षा/प्राविधिक शिक्षा विभाग के समस्त अनुभाग।

(8) उ0प्र0 सचिवालय के समस्त अनुभाग।

(9) समस्त मण्डलीय संयुक्त/उप शिक्षा निदेशक/समस्त मण्डलीय बालिका विद्यालय निरीक्षिकायें , उत्तर प्रदेश ।

(10) समस्त जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, उत्तर प्रदेश।

(11) समस्त जिला विद्यालय निरीक्षक, उत्तर प्रदेश।

(12) निरीक्षक संस्कृत पाठशालायें/अरबी मदरसे, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।

(13) समस्त सहायक निरीक्षक संस्कृत पाठशालायें, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।

(14) उत्तर प्रदेश के समस्त गैर सरकारी सहायता प्राप्त महाविद्यालयों के प्रधानाचार्य।

(15) कुल सचिव, किंग जार्ज मेडिकल यूनीवर्सिटी, लखनऊ।

(16) प्रधानाचार्य, मोती लाल नेहरू रीजनल इंजीनियरिंग कालेज, इलाहाबाद।

(17) प्रधानाचार्य, मदन मोहन मालवीय रीजनल इंजीनियरिंग कालेज, गोरखपुर।

(18) कुल सचिव, दयालबाग एजुकेशनल इंस्टीट्यूट(डीम्ड विश्वविद्यालय) दयालबाग, आगरा ।

(19) रीजनल प्राविडेन्ट फण्ड कमिश्नर, कानपुर।

(20) निदेशक, के0एन0इंस्टीट्यूट आफ साईस एण्ड टेक्नालोजी, सुल्तानपुर।

(21) निदेशक, इंस्टीट्यूट आफ इंजीनियरिंग एण्ड टेक्नालोजी, लखनऊ।

(22) निदेशक, एच0बी0टी0आई0, कानपुर।

(23) प्राविधिक शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश के अधीन सभी सहायता प्राप्त बहुधन्धी संस्थाओं के प्रधानाचार्य।

(24) प्रधानाचार्य, डी0ए0वी0(एल0टी0) प्रशिक्षण महाविद्यालय, कानपुर।

(25) प्रधानाचार्य, क्रिश्चियन(एल0टी0) प्रशिक्षण महाविद्यालय, लखनऊ।

(26) प्रधानाचार्य, किशोरी रमण (एल0टी0) प्रशिक्षण महाविद्यालय, मथुरा।

(27) प्रधानाचार्य, के0पी0 (एल0टी0) प्रशिक्षण महाविद्यालय, इलाहाबाद।

(28) प्रधानाचार्य, एल0टी0 प्रशिक्षण महाविद्यालय, सकलडीहा, वाराणसी।

(29) व्यवस्थापक, सेवा भारतीय अध्यापन मन्दिर, सेवापुरी, वाराणसी।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

(30) संयुक्त निदेशक, शिविर कार्यालय, कोषागार निदेशालय, नवीन कोषागार भवन, कचहरी रोड, इलाहाबाद।

(31) चन्द्र शेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कानपुर।

(32) नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, फैजाबाद।

(33) निदेशक, एन0आई0सी0, छठा तल, योजना भवन, लखनऊ को शासनादेश वित्त विभाग की वेब साईट पर डाले जाने हेतु।

(34) गार्डबुक।

आज्ञा से,

मनोज कुमार जोशी
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।